

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1821 No. 1821

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2013/चैत्र 26, 1935 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2013/CHAITRA 26, 1935

- पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नौएडा, 11 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 242(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

- दीपघर और दीपपोत विभाग (अराजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1978 ;
- दीपघर और दीपपोत विभाग (अराजपत्रित दीपघर कार्मिक) भर्ती नियम, 1988 ; (ii)
- दीपघर और दीपपोत विभाग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 ; (iii)
- प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोत विभाग (समूह 'ग' समूह 'घ' अतकनीकी पद), भर्ती नियम, 1988 ; (iv)
- प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोत विभाग (मेरीन ब्रांच) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद), भर्ती नियम, (\mathbf{V})

का अधिकमण करते हुए जो दफ्तरी, जमादार, चपरासी, खलासी, चौकीदार/ रात्रि चौकीदार/ चौकीदार – सह– हमाल, चौकीदार – सह – माली, चौकीदार – सह– सफाईवाला, सफाईवाला – सह – माली और सफाईवाला/ सफाईवाला – सह – उद्यान परिचर, तकनीशियन मेट, प्रयोगशाला परिचर, दीपस्तंभ परिचर, सफाईवाला, चौकीदार, चिकित्सालय परिचर, उद्यान परिचर, सहायक बढ़ाई, सहायक लोहार, क्लीनर, सहायक बोटमैन, ग्रीजर, सीमैन, भंडारी के पदों से संबंधित है को उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में दीपस्तंभ परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, दीपस्तंभ परिचर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2013 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहताएं .- वह व्यक्ति, -4.
 - जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ;या (क)
 - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति .— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृति .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए

	सींघे मती के लिए अपेक्षित शैक्षिक	और अन्य अर्हताएं	(7) सीट्रक अथवा समतुल्य उत्तीर्ण या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त आई टी आई से इलोट्रेशियन अथवा इलेक्ट्रोनिक्स् मेकेनिक अथवा रेडियो और टेलिविजन मेकेनिक का ट्रेड उत्तीर्ण किया हो।	
अनुसूची	ग सीधे मती के लिए आयु सीमा		18 से 27 वर्ष के बीच। (समय— समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अम्यश्चियों के अम्प्रार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अम्यश्चियों के अम्यश्चियों के अम्यश्चियों के लिए पैतालिस वर्ष तक शिशिल की जा सकती हैं।। टिप्पण 1.— आयु — सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, सिविकम, जम्मू— कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के अंडमान और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप के अम्यश्चियों के लिए विदित की गई हैं)।	टिप्पण 2.— रोजगार कार्यालय से प्राप्त होने वाले अम्यार्थयों के मामले में आयु — सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने के लिए अवधारित की
	चयन अथवा ॲचयन पद	(5)		4 (1 4)
,	वतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	(4)	वेतन बैंड – 1 5200 – 20200 हैं + ग्रेड वेतन 1800 है	
THE STATE OF THE S	lo Adulla b	(3)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
ग पद संख्या		(2)	325 * (2013) * कार्यमार के आचार पर परिवर्तन जा सकता है।	
पद का		(£)	परिचर	

P. territoria	0.12	ETTE OF INDIA . EX	TRAORDINA
उसकी मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	(13) लागू नहीं होता ।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो संरवना	(12) भ समूह 'ग', विमागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	(1) निदेशक, दीपस्तंम और दीपपोत — अध्यक्ष ; — अध्यक्ष ; (2) प्रशासन अधिकारी, दीपस्तंम और दीपपोत — सदस्य ;	(3) कार्यकारी अधिकारी, दीपस्तम और दीपपोतसदस्य.
प्रोन्नित या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा मर्ती की दशा में वे श्रीषयां जिन से प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	(11) लागू नहीं होता		
मती की पद्धति : मती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(10) सीधी मर्ती द्वारा		
पारवाष्ट्रा को अविष्ठि, यदि कोई हो	(9) दो वर्ष		
र जान वाल ए विहित आयु हिताएं प्रोन्नित गगू होंगी या	(8) लागू नहीं होता		

[फा. सं. 27/7/2008-प्रशा.-1] कैप्टन एएम. सूरज, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships) NOTIFICATION

Noida, the 11th April, 2013

G.S.R. 242(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the :-

- Department of Lighthouses and Lightships (Non-gazette (i) Recruitment Rules, 1978; technical
- Department of Lighthouses and Lightships (Non-gaztted Lighthouse Personnel) (ii)
- Department of Lighthouses and Lightships, (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment (iii)
- Department of Lighthouses and Lightships (Group 'C' and Group 'D') Recruitment (iv)
- Department of Lighthouses and Lightships (Marine branch) (Group 'C' and Group (v)

in so far as they relate to the posts of Daftry, Jamadar, Peon, Khalasi, Watchman/Night watchman/ Watchman-cum-Hamel/ Watchman-cum-Mali, Watchman-cum-Safaiwala, Safaiwala-cum-Mali and Safaiwala / Safaiwala-cum-Garden Attendant, Technician Mate, Lab. Attendant, Lighthouse Attendant, Safaiwala, Watchman, Dispensary Attendant, Garden Attendant, Assistant Carpenter, Assistant Black Smith, Cleaner, Assistant Boatman, Greaser, Seaman, Bhandari, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Lighthouse Attendant in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:-

- Short title'and commencement. (1) These rules may be called the Directorate General 1. of Lighthouses and Lightships, Lighthouse Attendant, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13)
- 4. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any

1541GI/13-2

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

•	Educational and other	qualifications	required for	direct recruits.	Matriculation or equivalent pass or ITI pass in the trade of Electrician or Electronics Mechanic or Radio and Television mechanic	oun Sta
SCHEDULE Afther Age limit for direct recruits.					5000=	
Whether	post or	non- selection	post	(5)	applicable	
Pay band and grade pay or				(4)	₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 1800.	*
Classification.			(5)	(5)	Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-	
Number of posts.			(2)	325*	(*Subject to variation dependent on workload).	
Name of the post.			(1)	Lighthouse	7003	

.

and educational probation, if recruitment whether recruitment production probation, if recruitment whether recruitment promotion or by prescribed for direct recruitment promotion or by deputation, grades promotion or by promotion or by deputation, grades promotion or by various methods. (B) (B) (Commission is to be filled deputation, by various methods. (B) (Commission is to be filled deputation) or promotion or by various methods. (Commission is to be consulted in making recruitment. (B) (Commission is to be filled deputation) or promotion or promo				BITE OF	INDIA	: EXTR	AORDIN	ARY
Two years. Method of Method of In case of If a Departmental Promotion or by direct recruitment whether any. Two years. Method of In case of If a Departmental Promotion or by deputation, deputation and from which percentage of the promotion or vacancies to be filled absorption to be made. (9) (10) (11) (12) (12) (12) (13) (14) (14) (14) (15) (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.		1000	Not applicable.				
probation, if recruitment whether recruitment by direct recruitment by or by promotion or deputation/ deputation/ deputation/ absorption and percentage of the promotion or vacancies to be filled by various methods. (9) (10) (11) (11) Two years. By direct recruitment. Not applicable.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		(12)	Departmental Promotion (for confirmation)		-Chairman; Lighthouses and Lightships	- Member; 3) Executive Officer, Lighthouses	
probation, if recruitment whether any. for any. for by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. (9) Two years. By direct recruitment.	case uitment totion tation/ rption, grad whi otion tation/ cation/						<u> </u>	
for any. (9) Two years.			-					
of of of of	probation, if any.	(6)	+					
		(8)	1		,			

Capt. A.M. SUREJ, Director General

[F. No. 27/7/2008-Admn.-I]